पत्र संख्या–1 / प्रा0आ0–0–3–17 / 2017....99.... / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल / औरंगाबाद / बाँका।

पटना–15, दिनांक– 20/10/17

विशयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010010 में ₹12.00 लाख (बारह लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष– 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष– 101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0010– वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित / पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष–101 आनुग्रहिक राहत।   माँग संख्या–39
उपशीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।
विस्तृत शीर्ष– 37 –अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष–01–अनुग्रह अनुदान

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (रु0 लाख मे)	वर्तमान आवंटन (रु0 लाख मे)	योग (रु0 लाख मे)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	सुपौल	0.00 (शून्य)	3.00 (तीन लाख)	3.00 (तीन लाख)
2	औरंगाबाद	13.00 (तेरह लाख)	3.00 (तीन लाख)	16.00 (सोलह लाख)
3	बाँका	0.00 (शून्य)	6.00 (छ लाख)	6.00 (छ लाख)
कुल योग		**13.00** (तेरह लाख)	**12.00** (बारह लाख)	**25.00** (पचीस लाख)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 1334–2 दिनांक 27.09.17 / औरंगाबाद के पत्रांक 514 दिनांक 04.09.17 / बाँका के पत्रांक 152 दिनांक 28.06.16 द्वारा की गई अधियाचना, उपलब्ध बजट उपबंध एवं **विभागीय संकल्प संख्या–2203 / आ0प्र0 दिनांक 11.07.2012 के आलोक में दिनांक 01.04.2009 के बाद घटित वज्रपात की घटनाओं में मृत व्यक्तियों** हेतु निर्गत किया जा रहा है।

5. **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों को देय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।** किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।